

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 16

संख्या: 269

प्रभात

जालोर, बुधवार 5 जनवरी, 2022

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2019-21

पृष्ठ 8

मूल्य 2.00 रु.



एक जमाना था जब ब्रिटेन में नर कॉर्नक्रिक पक्षी की “कैक्स कैक्स” की तीखी आवाज रातों में लोगों को जगा देती थी खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां ये प्रजनन के लिए बसेरा करते थे, पर अब इसके प्रजनन केन्द्रों में नीरवता पसर गई है क्योंकि यह शर्मीला प्रवासी पक्षी ब्रिटेन में विलुप्ति के कगार पर है। संरक्षण के प्रयासों की बदौलत नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैण्ड के द्वीपों 2014 में इस प्रजाति के नर पक्षियों की आबादी 1289 हो गई थी पर उसके बाद से इनकी आबादी घटती गई और सन् 2021 में स्कॉटलैण्ड में इनकी संख्या 30 प्रतिशत तक कम होकर 850 रह गई। इन्हें बचाने के लिए स्कॉटलैण्ड में आर.एस.पी.बी. (रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटैक्शन ऑफ बर्ड्स) द्वारा “कॉर्नक्रिक कॉलिंग प्रोजेक्ट” चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों से कहा जा रहा है कि वे घास के मैदानों में साल के अंत में घास काटें और वो भी कॉर्नक्रिक के अनुकूल तरीके से। इंग्लैण्ड में संरक्षण केन्द्रों में इनका प्रजनन करवाया जा रहा है। इंग्लैण्ड में पेन्सथोर्प कंजर्वेशन ट्रस्ट के संरक्षण केन्द्र में 97 कॉर्नक्रिक का जन्म हुआ इन्हें वाइल्डफाउल एण्ड वेंडलैण्ड ट्रस्ट के वैनली रिजर्व में छोड़ा गया है। पेन्सथोर्प की क्रिसी कॅली ने कहा कि “संरक्षण केन्द्रों में जन्मे पक्षियों को खुले जंगल से अनुकूलन करने में काफी समय लगता है मुझे यकीन है कि वैनली का ट्रायल अच्छे नतीजे देगा।” कॉर्नक्रिक गर्मी में कॉनगो से इंग्लैण्ड आते हैं। इनका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े हैं और मादा घास के मैदानों में ही अण्डे देती हैं। एक समय था पक्षी की आवाज दिन रात सुनाई देती थी लेकिन आधुनिक कृषि, जिसके लिए घास के मैदानों से समय से पहले ही मशीनों से घास काट दी जाती थी, की वजह से कॉर्नक्रिक ब्रिटेन से गायब हो गए। वेस्टर्न स्कॉटलैण्ड में इनकी कुछ आबादी है जहां कृषि के पारम्परिक तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं और इस वजह से इन पक्षियों को रहने के लिए लम्बी घास मिल जाती है जिनमें काफी कीड़े मकोड़े होते हैं। ब्रिटेन सन् 1993 में इनकी आबादी इतनी कम हो गई थी कि मात्र 480 नर कॉर्नक्रिक पक्षी ही बचे थे। उसके बाद इनकी आबादी बढ़ाने के प्रयास किए गए। लेकिन सन् 2014 से आबादी में निरंतर गिरावट आ रही है, जिससे संरक्षणविद चिंतित हैं। कॉर्नक्रिक कॉलिंग प्रोजेक्ट की मैनेजर जेन सैंडफोर्थ ने बताया कि अधिकांश किसान कॉर्नक्रिक के संरक्षण में सहायता करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार उन्हें मदद दे।

क्या अंता नगर पालिका के अध्यक्ष का पद कांग्रेस के हाथ से निकलेगा?

हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप में नोटिस भेजा

—यादवेन्द्र शर्मा—

जयपुर, 4 जनवरी। राजस्थान हाई कोर्ट में जिला अंता नगर, के नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े एक अन्य पार्षद के खिलाफ, 2020 के नगर चुनाव में भाग लेने के लिए फर्जी दस्तावेज दायर करने के संदर्भ में याचिका दर्ज की गयी है।

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने पार्षद रामेश्वर खंडेलवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन तथा अंता नगर नगर पालिका के अध्यक्ष से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में अधिवक्ता अनुराग कलावतिया पेश हुए थे। इस मामले में दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने कहा है कि पार्षद जमील मोहम्मद ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में

- अंता नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार एक वोट से जीता था। परन्तु हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष तथा कांग्रेस के टिकट पर लड़े एक अन्य पार्षद ने नामांकन पत्र में फर्जी दस्तावेज दिये हैं, ताकि वे चुनाव में भाग ले सकें।

कहा था कि उनकी पुत्री वहीदा अंसारी, का जन्म 10 अगस्त 1995 को हुआ है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उनकी पुत्री के दसवीं कक्षा के सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा है कि उनकी पुत्री का जन्म 10 अगस्त 1999 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने अपनी दूसरी याचिका में कहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने अपने चौथे पुत्र, शाहनवाज खान, की जन्म तिथि चुनाव आयोग को 15 अगस्त 1995 बताई थी, जबकि दसवीं के सर्टिफिकेट में इनके पुत्र की जन्म तिथि 15 अगस्त 1996 वर्णित है।

याचिका में आगे बताया गया है

कि राजस्थान मुनिसिपैल्टी एक्ट 2009 के तहत, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार का 27 नवम्बर 1995 के बाद कोई बच्चा नहीं होना चाहिये, चाहे तारीख से पहले इस उम्मीदवार के कितने ही बच्चे पैदा क्यों न हो।

याचिकाकर्ता के वकील अनुराग कलावतिया का कहना है कि क्योंकि इन दोनों पार्षदों ने चुनाव आयोग के नॉमिनेशन पत्र में झूठी गवाही दी और अपने बच्चों की जन्म तिथि गलत बताई, उन्होंने कहा कि, इन दोनों ने नगर पालिका विधेयक 2009 की धारा (24) का स्पष्ट उल्लंघन किया है,

जिसके तहत वर्ष 1995 के बाद जिस व्यक्ति के बच्चे होते हैं वे नगर पालिका के सदस्य नहीं हो सकते, “इसलिए यह दोनों नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।”

याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि वे नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में उतरे थे, परन्तु यह चुनाव मुस्तफा खान एक वोट से जीते थे। उन्होंने आगे बताया कि जमील मोहम्मद ने मुस्तफा खान के समर्थन में वोट डाला था।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि क्योंकि मुस्तफा खान व जमील मोहम्मद ने अपने नॉमिनेशन पत्र में झूठ बोला है इसलिये उनका चुनाव ही रद्द होना चाहिये, परन्तु अब यह स्पष्ट नहीं है कि कि नगर पालिका अध्यक्ष किसे माना जायेगा। बहरहाल अदालत ने इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख दी है।

हाईकोर्ट

जयपुर, 4 जनवरी (निर्स)। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना के ओमक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केंसों को देखते हुए पांच जनवरी से 14 जनवरी तक हाईकोर्ट सहित जयपुर और जोधपुर की सभी अधीनस्थ अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई केवल वर्चुअल तरीके से ही करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश की कॉपी जजों, न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशनों को भेजते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना के

- जोधपुर की अदालतों में 14 तक वी.सी. से सुनवाई होगी।

बढ़ते मामलों के कारण वीसी के जरिए ही सुनवाई का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में 75 फीसदी कोर्ट कर्मचारी ही रोटेशन के आधार पर कोर्ट आएंगे। जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे, वहीं कोर्ट परिसर में केवल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी दो सप्ताह के लिए केंसों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड से ही करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट सहित अन्य हाईकोर्टों में भी वीसी के जरिए ही सुनवाई करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—

हाईकोर्ट

जयपुर, 4 जनवरी (निर्स)। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर दोगुनी हो गई है। इसके चलते मंगलवार को 1137 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 745 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। इस बीच राजधानी में कोरोना से एक संक्रमित की मौत भी हुई है।

प्रदेश में जांचे बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि होने लगी है। मंगलवार को राज्य में 53 हजार 524 जांच पर 1137 नए संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 550 रोगी पाए गए थे। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 745 नए संक्रमित जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 185, अजमेर में 43, अलवर में 39, कोटा में 31, भीलवाड़ा में 21, भरतपुर में 20, बीकानेर में 12, उदयपुर में 9, प्रतापगढ़ में 8, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर में 7-7, सीकर, सिरोही, टोंक व बाड़मेर में 2-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—

क्या ओमक्रॉन का इतना अधिक व तेजी से प्रसार कोविड-19 के सिमटने के लिये शुभ समाचार है?

- गौरतलब बात यह है कि हालांकि ओमक्रॉन का प्रसार तेजी से हो रहा है, इस वायरस से संक्रमित मरीजों को कोविड-19 के संक्रमितों की भांति अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता तथा इसका प्रकोप इतना गंभीर भी नहीं है कि वैन्टिलेटर व आई.सी.यू. की जरूरत अनिवार्य हो जाये।
- वैज्ञानिक इस तथ्य को इस बात का संकेत मान रहे हैं कि, करोना वायरस धीरे-धीरे सिमट रहा है और इसकी जगह ओमक्रॉन ले रहा है।

कि इससे इस वैश्विक महामारी का शमन हो जाएगा।”

साउथ अफ्रीका में एक माह पूर्व ही ओमक्रॉन वैरिएंट का पता चला था और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि स्थिति बदलने में अभी भी काफी समय लगेगा, लेकिन पिछले हफ्ते से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि इस वायरस के परिणामस्वरूप व्यापक रोग प्रतिरोधता और विविध म्यूटेशन्स का मिश्रण हुआ है, जो ओमक्रॉन संक्रमण को पिछले वैरिएंट की तुलना में कम घातक बनाता है।

साउथ अफ्रीका में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि कोविड-19 के ओमक्रॉन वैरिएंट वाली चौथी लहर के दौरान जिन पॉजिटिव रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनमें

डेल्टा वैरिएंट वाली तीसरी लहर के दौरान भर्ती कराए गए मरीजों की तुलना में गंभीर बीमारी होने की आशंका 73 प्रतिशत कम थी।

वैज्ञानिक कहते हैं, लगता है कि ओमक्रॉन वैरिएंट को कई कारकों ने कोविड-19 की पिछली लहर के मुकाबले कम संक्रामक या कम गंभीर बनाया है।

“ब्लूमबर्ग” की एक रिपोर्ट कहती है “कोविड संक्रमण प्रायः नाक से शुरू होता है और गले तक पहुंच जाता है। श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में हुए संक्रमण की तुलना में एक हल्का इन्फेक्शन आगे गहरायी तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तब आमतौर पर अधिक गंभीर लक्षण प्रकट होते हैं।”

पिछले चौबीस घंटों में फिर दोगुने हुए करोना के नए मरीज राजस्थान में

प्रदेश में मंगलवार को 1137 नए संक्रमित मिले हैं तथा सोमवार को 550 रोगी पाए गए थे

- राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 745 और जोधपुर में 185 नए संक्रमित सामने आए हैं।
- राज्य में कोरोना के एक्टिव केस तीन हजार के पार हो गए हैं। इनमें 2135 मामले जयपुर में हैं।
- कोरोना संक्रमण से जयपुर में एक मरीज की मौत भी हुई मंगलवार को।

2 तथा दौसा और धौलपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

उधर राहत की बात यह है कि राज्य के 15 जिलों बांसवाड़ा, बार, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूँ, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर में एक भी नया केस नहीं मिला है। इस बीच प्रदेश में केवल 37 मरीज ही टीक होने के साथ ही अब तक 9 लाख 46 हजार 422 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में लगातार नए संक्रमितों में हो रही भारी वृद्धि के कारण रिकवरी रेट गिरकर 98.73 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं संक्रमण दर 2.12

फीसदी हो गई है। इधर प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 3183 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2135 मामले जयपुर जिले में हैं।

इसके अलावा जोधपुर में 364, अजमेर में 118, कोटा में 110, अलवर में 107, बीकानेर में 57 और भीलवाड़ा में 55 तथा अन्य 15 जिलों में इससे कम एक्टिव केस मौजूद हैं। जयपुर में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राजधानी में अब तक इस बीमारी से 1972 लोगों मौत्यू हो गई है। जबकि प्रदेश में 8965 लोगों की मौत हुई है।

कर्बला मैदान

जयपुर, 4 जनवरी (निर्स)। राजधानी जयपुर की वक्फ सम्पत्ति कर्बला मैदान में पिच निर्माण और टूर्नामेंट कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष युनुस चोपदार ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के कर्बला मैदान में पिच निर्माण और टूर्नामेंट आयोज को लेकर कहा है कि

- एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठन आज सुबह 11 बजे कूच करेंगे। कर्बला मैदान पर जोर जबरदस्ती से क्रिकेट मैच आयोजित करने के विरोध में।

यहां यदि टूर्नामेंट होगा, तो मेरी लाश पर होगा।

जयपुर के कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी द्वारा सीमेंटेंड पिच का अवैध रूप से निर्माण करवाने और वहां पर टूर्नामेंट आयोजित करने के मामले में मुस्लिम संगठनों ने पांच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को लगातार 13वें दिन भी जारी रहा।

मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर.एल.पी.) ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 4 जनवरी। ममता बनर्जी ऐसी एकमात्र मुख्यमंत्री नहीं हैं, जो यह चाह रही है कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के औपचारिक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका, दायित्वों एवं अधिकारों से वंचित कर दिया जाये। महाराष्ट्र में तो ऐसा विधेयक भी पारित हो चुका है जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों से जुड़े अधिकारों में कटौती कर दी गई है। तमिलनाडु और केरल सरकार भी इसी प्रकार के कानून लाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं। उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण कहे जाने वाले मुद्दों पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के बीच अनबन चली आ

रही है। इन मुद्दों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जगदीप धनकड़ ने अभी हाल ही उनकी सहमति के बिना ही राज्य में 24 वाइस चांसलरों की नियुक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। धनकड़ ने 30 दिसम्बर को कहा, “इन नियुक्तियों की कोई कानून-सम्मत

स्वीकृति नहीं है” तथा अगर इन्हें शीघ्र ही वापस नहीं लिया गया तो उन्हें कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।” इस बीच, टी.एम.सी. सरकार एक ऐसा

कानून लाना चाहती है, जिसके जरिये राज्यपालों को ऐसे अधिकारों से वंचित करके ये अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिये जायें।

कानून लाना चाहती है, जिसके जरिये राज्यपालों को ऐसे अधिकारों से वंचित करके ये अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिये जायें।

ऐसा ही एक विवाद केरल में गोपीनाथ रवीन्द्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय का वी.सी. बनाये जाने को लेकर उभरकर आया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने रवीन्द्रन के नाम की स्वीकृति दबाव में आकर दी थी। मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पिछले माह लिखे एक पत्र में, खान ने यह कह दिया था कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर का पद छोड़ रहा हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि या तो उनकी जिम्मेदारियाँ अधिगृहीत कर ली जायें या फिर इस विवादास्पद प्रश्न का समाधान करने के लिये कानून लाया जाये। विश्वविद्यालय अधिनियम के जरिये, राज्य सरकारों की भूमिका अदा करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)